भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 374
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

कृषि विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में कानूनी सलाह

374. श्री ए. के. पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने नील ऑरेलियो नून्स और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन पर विधि और न्याय मंत्रालय से कोई कानूनी सलाह मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने तारीख 05.08.2022 को एक निर्देश दिया, जिसे विधि कार्य विभाग ने तारीख 30.08.2022 को प्राप्त किया था, जिसमें यह सलाह मांगी गई थी कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) और ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए लागू आरक्षण, तारीख 30.07.2021 के पब्लिक नोटिस और परिवार कल्याण मंत्रालय की तारीख 29.07.2021 की सूचना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 20.01.2022, नील आरोलियो नून्स और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में दिये गए पश्चात्वर्ती निर्णय/आदेश के द्वारा नीट के पैटर्न में राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) की सीटों सहित संपूर्ण बोर्ड पर लागू होगा ।

इस संबंध में, तारीख 11 अक्तूबर, 2022 के एक नोट के माध्यम से भारत के विद्वान सालिसिटर जनरल ने कहा कि, "अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) और ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग को आरक्षण प्रदान करने का मुद्दा एक नीतिगत निर्णय है, जिसे अंतिम रूप से सरकार द्वारा तय किया जाना है और यह विधिक राय का विषय नहीं हो सकता है । ए.आई.क्यू. सीटों में आरक्षण आरंभ करने का विशेषाधिकार केंद्रीय सरकार के पास है। आदर्श रूप में, संबंधित प्राधिकरण द्वारा एक उचित निदेश/अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसे ए.आई.क्यू. सीटों की सीमा तक सरकार उचित समझे ।

****